



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक - 1016/02 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 20/11/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग में कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की कमी के दृष्टिगत निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित इस कार्यालय से निर्गत आदेशों द्वारा कार्यहित में 06 माह हेतु राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग से सम्बद्ध किया गया है :-

क्र० सं०	अभियन्ता का नाम	पद नाम	मूल तैनाती कार्यालय का नाम	सम्बद्धीकरण आदेश का सन्दर्भ
1	श्री राजेश जोशी	AAE (C)	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत	पत्रांक 334/02 व्यघ-सा०/16 दिनांक 12.05.2022
2	श्री प्रमोद कुमार तिवारी	AAE (C)	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	पत्रांक 335/02 व्यघ-सा०/16 दिनांक 12.05.2022

शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उपरोक्त अंकित अभियन्ताओं के राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग को किये गये सम्बद्धीकरण आदेशों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये इन कार्मिकों का स्थानान्तरण कार्यहित में निम्नवत् किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	नव तैनाती कार्यालय का नाम
1	श्री राजेश जोशी, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी
2	श्री प्रमोद कुमार तिवारी, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ताओं को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित अभियन्ताओं द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/तृतीय/दसवाँ रा०मार्ग/राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/पिथौरागढ़/देहरादून/हल्द्वानी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत/हल्द्वानी/रुद्रप्रयाग/लोहाघाट।
- अधिशाली अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड पत्रावली हेतु।

(हस्ताक्षर)
20.11.2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष